सामान्य नियम

अखिल भारतीय गांधर्व महाविद्यालय मंडल द्वारा संगीत के अंतर्गत निम्नलिखित विषयों में परीक्षाएँ आयोजित की जाएंगी :

१. गायन, स्वर वाद्य, ताल वाद्य एवं नृत्य :

(१) गायन : हिंदुस्तानी एवं कर्नाटक संगीत

(२) स्वरवाद्य : सितार, सारंगी, सरोद, वीणा, वायलिन, दिलरूबा (इसराज), बांसुरी, शहनाई, हार्मोनियम, सिंथेसायझर (की बोर्ड), क्लरियोनेट, जलतरंग, अन्य तरंग वाद्य

(३) तालवाद्य : तबला, मृदंग (पखावज), कर्नाटक मृदंगम्

(४) नृत्य : कत्थक, ओडीसी और भरतनाट्यम्

२. मंडल द्वारा वर्ष में दो बार परीक्षाएँ आयोजित की जायेंगी :

(अ) अप्रैल-मई में (ब) नवम्बर-दिसम्बर में

अप्रैल-मई सत्र :

१. इस सत्र में केवल विशारद द्वितीय तक की परीक्षाएँ सम्पन्न होंगी|

२. ओडीसी-नृत्य तथा कर्नाटक संगीत की परीक्षाएँ इस सत्र में सम्पन्न नही होंगी|

नवम्बर-दिसम्बर सत्र :

इस सत्र में संगीताचार्य तक की सभी विषयों की परीक्षाएँ सम्पन्न होंगी| शिक्षक सनद, शिक्षा विशारद तथा शिक्षा पारंगत की शास्त्र एवं क्रियात्मक परिक्षाएँ इस सत्र में ही होंगी| इस परीक्षा के लिए आवेदनपत्र तथा स्थानीय पाठशाला प्रधानाचार्य का पाठ के लिए सम्मति पत्र अगस्त में ही केन्द्र व्यवस्थापक की ओर देना होगा|

३. परीक्षाओं में सम्मिलित होने के लिए निम्नलिखित नियम आवश्यक हैं| मण्डल से सम्बद्ध अथवा मण्डल द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था में शिक्षा पूर्ण की हो, ऐसे प्रीक्षार्थियों को भी परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जा सकती है जिन्होंने प्राइवेट रूप में संगीत की शिक्षा मण्डल के पाठ्यक्रमानुसार ऐसे शिक्षकों से प्राप्त की हो जो :

(१) मण्डल के उपाधिधारक हो|

(२) मण्डल द्वारा मान्य संस्थाओं से जिन्होंने संगीत की उपाधि प्राप्त की हो|

(३) परंपरागत मान्य संगीतज्ञ हों|

४. मण्डल की मध्यमा द्वितीय परीक्षा के समकक्ष (मान्यता प्राप्त) अन्य परीक्षा में उत्तीर्ण हुए विद्यार्थी को मण्डल की विशारद प्रथम परीक्षा में बैठने कि अनुमति दी जा सकती है| ऐसे विद्यार्थी मध्यमा करना चाहें तो मध्यमा प्रथम से परीक्षा देनी होगी| ऐसे छात्रों को पूर्वानुमति लेना आवश्यक है|

५. अ) किसी भी विश्वविद्यालय से अन्य विषयों सहित संगीत विषय लेकर बी. ए. उपाधि धारण करनेवाले विद्यार्थी को मण्डल की विशारद प्रथम परीक्षा में बैठने कि अनुमति दी जा सकती है| ऐसे परीक्षार्थी मध्यमा करना चाहें तो मध्यमा प्रथम से परीक्षा देनी होगी| ऐसे छात्रों को पूर्वानुमति लेना आवश्यक है|

ब) किसी भी विश्वविद्यालय से बी. म्यूज. अथवा संगीत विषय में बी. ए. (ऑनर्स) करने पर अलंकार प्रथम में सम्मिलित होने की अनुमती दी जा सकती हैं| ऐसे परीक्षार्थी विशारद करना चाहें तो विशारद प्रथम से परीक्षा देनी होगी| ऐसे छात्रों को पूर्वानुमति लेना आवश्यक है|

क) किसी भी विश्वविद्यालय से संगीत विषय में एम. ए. करने पर संगीताचार्य में सम्मिलित होने की अनुमती दी जा सकती है|

ऐसे परीक्षार्थी अलंकार करना चाहें तो अलंकार प्रथम से परीक्षा देनी होगी|
ऐसे छात्रों को पूर्वानुमति लेना आवश्यक है|

ड) किसी भी परिस्थिति में विशारद प्रथम परीक्षा में उत्तीर्ण हुए बिना विशारद द्वितीय में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी|

इ) संगीत विशारद तथा संगीत अलंकार उपाधि के अतिरिक्त "संगीत विशारद (विशेष)" एवं "संगीत अलंकार (विशेष)" यह उपाधियाँ भी प्रदान की जायेगी| इसके लिए निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएँ आवश्यक रहेगी|

सा) संगीत विशारद (विशेष) के लिए :- १२ की परीक्षा उत्तीर्ण|
रे) संगीत अलंकार(विशेष) के लिए :- स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण|

६. परीक्षओं में क्रियात्मक एवं लिखित दोनों विभागों में नियमानुसार उत्तीर्ण होना आवश्यक है |

७. सभी परीक्षार्थियों को अपने आवेदन पत्र के साथ पिछली परीक्षा के प्रमाणपत्र की प्रतिलिपि भेजना आवश्यक हैं | मण्डल से संलग्न संस्था के परीक्षार्थियों के आवेदन-पत्र किसी परीक्षा केन्द्र द्वारा ही भेजे जाने चाहिए |

८. सा)सभी परीक्षाओं में अगली परीक्षा में बैठने के लिए एक वर्ष का समय आवश्यक है|

रे) सीधे प्रवेशिका प्रथम परीक्षा में बैठने के लिए आवेदन-पत्र के साथ प्रार्थना-पत्र एवं रू.२५/- अतिरिक्त शुल्क भरना आवश्यक है |

ग)प्रवेशिका पूर्ण में सीधे बैठने के लिए परीक्षार्थी को प्रार्थनापत्र, जन्मतिथि प्रमाणपत्र, शिक्षक का सिफारिस पत्र, परीक्षा शुल्क तथा अतिरिक्त शुल्क परीक्षा फार्म के साथही देना आवश्यक है |ऐसे परीक्षार्थी की आयु नवम्बर सत्र के लिए १६ अगस्त को तथा अप्रैल सत्र के लिए १५ जनवरी को १२ वर्ष पूर्ण होना आवश्यक है |

म) मण्डल के अतिरिक्त किसी अन्य संस्था या विश्वविद्यालय की परीक्षा के आधारपर यदि मण्डल की परीक्षा देनी हो तो, परीक्षार्थी को १००/- रूपए माईग्रेशन शुल्क देय होगा |

प)परंपरागत मान्य संगीतज्ञों एवं कलाकारों को सीधे विशारद प्रथम परिक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति केवल निम्नलिखित शर्तोपर दी जा सकती है|

अ)ऐसी व्यक्ति आकाशवाणी/दुरदर्शन की "बी-हाय-B+" ग्रेड कलाकार हो|

ब)रजिस्ट्रार द्वारा परीक्षामे सम्मिलित होने की पूर्वानुमति प्राप्त करना आनिवार्य रहेगा| पूर्वानुमति हेतु अप्रैल/मई सत्र के लिए 15 दिसम्बर तथा नवम्बर/दिसम्बर सत्रके लिए 15 जूलाई तक प्रार्थना पत्र रजिस्ट्रार कार्यालय को प्राप्त होना आवश्यक है|

क)लिखित एवं क्रियात्मक परीक्षा केवल "गांधर्व महाविद्यालय-वाशी"(नवी मुंबई) में सम्पन्न होगी|

ड)प्रार्थना पत्र स्वीकृत होने पर आवेदन पत्र के साथ निर्धारित परीक्षा शुल्क के अलावा रू.२००/- अतिरिक्त शुल्क के रूप में भरने होंगे|

९. संगीत विशारद-गायन में उत्तीर्ण विद्यार्थी को कोई भी स्वर-वाद्य लेकर विशारद प्रथम में बैठने की अनुमति दी जा सकती है| उसी प्रकार कोई भी स्वरवाद्य लेकर विशारद उत्तीर्ण करनेवाले विद्यार्थी को गायन विषय लेकर विशारद प्रथम में बैठने की अनुमति दी जा सकती है| इसी प्रकार अलंकार में उत्तीर्ण विद्यार्थियों को भी गायन अथवा स्वर-वाद्य लेकर अलंकार प्रथम में बैठने की अनुमति दी जा सकती है| इसके लिए रजिस्ट्रार से लिखित रूपमें पूर्वानुमति लेना आवश्यक है|

यह ध्यान में रखना चाहिए कि क्रियात्मक के साथ शास्त्र की भी परीक्षा देनी होगी|

१०. अ) मध्यमा पूर्ण परीक्षा के लिए आवेदन-पत्र भरते समय (अप्रैल-मई सत्र के लिए १५ जनवरी को तथा नवम्बर-दिसम्बर सत्र के लिए १६ अगस्त को) परीक्षार्थी की आयु १४

वर्ष पूर्ण होनी आवश्यक हैं|

ब) परीक्षा के लिए आवेदन-पत्र भरते समय जन्मतिथि का प्रमाणित प्रमाण पत्र जैसे(Birth Certificate, School Leaving Certificate) देना आवश्यक है| जन्मतिथि प्रमाण-पत्र केवल हिन्दी या अंग्रेजी भाषा में ही होना चाहिए| केन्द्र व्यवस्थापक द्वारा प्रमाणित किया प्रमाण-पत्र स्वीकृत नहीं होगा|

११. प्रत्येक सत्रमें केवल एक ही विषय की परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति मिल सकती हैं|

१२. परीक्षार्थियों को निर्धारित तिथि, स्थान तथा समय पर परीक्षा के लिए उपस्थित होना चाहिए, जिसकी जानकारी परीक्षार्थियों को केन्द्र व्यवस्थापक से स्वयं प्राप्त करनी होगी|

१३. मण्डल से संलग्न संस्था के शिक्षक, संस्था के परीक्षार्थियों को मण्डल की परीक्षओं में संलग्न विद्यार्थी का परीक्षा-शुल्क देकर सम्मिलित हो सकेंगे|

१४. अंध व पंगु परीक्षार्थियों को परीक्षा शुल्क के साथ लेखक शुल्क देना आवश्यक है| ऐसे परीक्षार्थियों की लिखित परीक्षा मौखिक रूप में संपन्न नहीं होगी| परीक्षार्थी के लिये लेखनिक की व्यवस्था केन्द्र व्यवस्थापक द्वारा की जायेगी| लेखनिक का परीक्षार्थी से उस विषय में कम शिक्षित होना आवश्यक है|

१५. गायन वादन, तबला तथा नृत्य में प्रवेशिका प्रथम तक शास्त्र की परीक्षा मौखिक रूप में क्रियात्मक के साथ ली जायेगी तथा सभी विषयों में प्रवेशिका पूर्ण(द्वितीय) से शास्त्र की लिखित परीक्षा होगी|

१६. बीमारी या अन्य कारणवश परीक्षा में सम्मिलित न हो सकनेवाले विद्यार्थी का परीक्षा-शुल्क वापस नही होगा|

१७. आवेदन पत्र स्वीकृत होने पर परीक्षार्थी का प्रवेश-पत्र केंद्र को भेजा जायेगा| परीक्षार्थी को प्रवेश-पत्र तथा परीक्षा व्यवस्था के सम्बन्ध में केंद्र व्यवस्थापक से संपर्क स्थापित करना चाहिए| बिना प्रवेश-पत्र के परीक्षा में किसी भी परीक्षार्थी को प्रवेश नहीं मिलेगा|

१८. किसी विशेष कारणवश यदि केंद्र में परिवर्तन करना आवश्यक हो तो लिखित परीक्षा की तिथि के कम से कम एक महीना पहले रजिस्ट्रार कार्यालय को प्रार्थना पत्र भेजना होगा| देर से आनेवाले प्रार्थना-पत्रोंपर विचार नहीं किया जायेगा|

१९. अप्रैल-मई सत्र के लिए १ दिसंबर से तथा नवम्बर-दिसम्बर सत्र के लिए १ जुलाई से, मांग

आने पर आवेदन-पत्र भेजे जायेंगे| प्राईवेट विद्यार्थियों को आवेदन पत्र केंद्र व्यवस्थापक से मिल सकतें हैं| निर्धारित शुल्क, आवेदन-पत्र शुल्क तथा अन्य आवश्यक शुल्क के साथ, आवेदन-पत्र पूर्ण कर के निर्धारित समय के अन्दर केंद्र-व्यवस्थापक को देना चाहिए तथा शुल्क की रसीद ले लेनी चाहिए| आवेदन-पत्र हिंदी या अंग्रेजी में ही भरे जाने चाहिए|

२०.सा) अप्रैल-मई सत्र के लिए आवेदन-पत्र १ जनवरी से १५ जनवरी तक भरे जा सकते हैं तथा विलम्ब शुल्क के साथ २५ जनवरी तक भरे जा सकते हैं|

रे) नवम्बर-दिसम्बर सत्र के लिए आवेदन-पत्र १ अगस्त से १६ अगस्त तक भरे जा सकते हैं तथा विलम्ब शुल्क के साथ २५ अगस्त तक भरे जा सकते हैं|

ग) सभी आवेदन पत्र तथा अन्य परीक्षा साहित्य अप्रैल सत्र के लिए केंद्र व्यवस्थापक द्वारा ३१ जनवरी तक तथा नवम्बर-दिसम्बर सत्र के लिए ३१ अगस्त तक प्रेषित करना आवश्यक होगा| विलम्बसे प्राप्त होने पर आवेदन पत्र अस्वीकृत हो सकते है|

२१. आवेदन-पत्र, अपूर्ण भरे होने से या शुल्क कार्यालय में समय पर न मिलने से अथवा अन्य आवश्यक बातों की पूर्ति न होने पर अस्वीकृत किए जाएँगे| अस्वीकृत आवेदन पत्र के संबंध में किसी भी प्रकारका पत्राचार नहीं किया जाएगा| गायन के परीक्षार्थी विषय के स्थानपर हिंदुस्थानी/कर्नाटक गायन-शैली का उल्लेख करेंगे तथा वाद्य विषय के विद्यार्थियों को आवेदन पत्र में विषय के स्थानपर अपने वाद्य का नाम लिखना चाहिए| नृत्य के विद्यार्थियों को विषय के स्थान पर अपनी नृत्य-शैली का नाम लिखना चाहिए जैसे कत्थक, भरतनाट्यम् अथवा ओडीसी शैली|

२२. संलग्न संस्थाओं के संचालक केवल संलग्न विद्यार्थियों के ही आवेदनपत्र भर सकते हैं| असंलग्न विद्यार्थियों के आवेदन-पत्र केवल केंद्र व्यवस्थापक ही भर सकते हैं|

२३. नवम्बर-दिसम्बर सत्र की परीक्षा के परिणाम प्रायः जनवरी के तीसरे सप्ताह तथा अप्रैल-मई सत्र की परीक्षा के परिणाम प्रायः मई के अन्तिम सप्ताह में केंन्द्रों को भेजे जायेंगे| परिणाम घोषित होने के ३० दिनों के बाद अंकतालिका सभी परीक्षार्थियों को उनके द्वारा आवेदन-पत्र में दिये निजि पते पर रवाना होगी|

२४. अ) परीक्षा परिणाम से संबंधित शिकायतें या जोड की जाँच/पुनर्मूल्यांकन (Recounting of Marks/ Rechecking) करने के आवेदन-पत्र परिणाम घोषित होने के २० दिनों के अन्दर रजिस्ट्रार कार्यालय में पहुंच जाने चाहिए| इसके बाद आनेवाले आवेदन पत्रोंपर विचार नहीं किया जायेगा|

ब) पाठ्यक्रमानुसार क्रियात्मक परीक्षा तथा मंचप्रदर्शन न हुवा तो ऐसी शिकायतें तुरन्त रजिस्ट्रार कार्यालय को आनी चाहिए| परीक्षा फल घोषित होने के बाद आनेवाली ऐसी शिकायतें स्वीकृत नहीं होगी|

२५. अपने शिक्षक, संस्थाचालक तथा केन्द्र व्यवस्थापक के हस्ताक्षर आवेदन पत्रपर होने आवश्यक हैं|

२६. विशारद, शिक्षा विशारद, अलंकार, संगीताचार्य, शिक्षा पारंगत आदि के प्रमाण-पत्र, दीक्षान्त समारोह के बाद ही भेजे जाते हैं| इसके लिये आवश्यक निर्धारित शुल्क कार्यालय को भेजना होगा|

२७. परीक्षा सम्बन्धी सभी आवश्यक सूचनाएँ तथा परिवर्तन मण्डल द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका, "संगीत कला विहार" में रजिस्ट्रार कार्यालय समाचार विभाग में समय-समय पर प्रकाशित की जाती हैं|

२८. यदि किसी केन्द्र पर मध्यमा पूर्ण या उससे आगे की परीक्षा के लिए (गायन, नृत्य अथवा तबला विषय के) पांच से कम परीक्षार्थि होते है तो ऐसे परीक्षार्थियों को क्रियात्मक परीक्षा के लिए अन्य केन्द्र पर जाने की सूचना रजिस्ट्रार द्वारा दी जाने पर, संबंधित केन्द्र पर जाकर परीक्षा देनी होगी|

२९. सा) किसी भी अनुत्तीर्ण परीक्षार्थी को क्रियात्मक या लिखित विभागों में से जिस विभाग में ५० प्रतिशत या अधिक अंक प्राप्त हुए हों तो, उस विभाग में पुनः सम्मिलित न होने की छूट प्राप्त हो सकती है| छूट प्राप्ति हेतु रजिस्ट्रार कार्यालय की लिखित अनुमति आवश्यक रहेगी|

रे) ऐसे छात्रों को आधा परीक्षा शुल्क भरना होगा| अनुत्तीर्ण होने के बाद अधिक से अधिक एक साल तक ही ऐसी छूट दी जा सकती है| एक साल से अधिक समय बाद परीक्षा में सम्मिलित हो रहे छात्र को ऐसी छूट नहीं दी जाएगी| ऐसी छूट केवल एक बार ही दी जा सकती है|

ग) छूट प्राप्त परीक्षार्थियों का परीक्षा परिणाम दोनों परीक्षा फल के अंक मिलाकर घोषित होगा| लेकिन उत्तीर्ण होने पर केवल तृतीय श्रेणी ही दी जायेगी|

३०. विशारद तथा अलंकार के लिए, परीक्षार्थी चाहे तो श्रेणी वृद्धि (Up gradation) के लिए फिरसे उसी परीक्षा में सम्मिलित हो सकता है| ऐसे परीक्षार्थी को आवेदन पत्र के साथ

विशारद/अलंकार परीक्षा की मूल अंकतालिका एवं प्रमाणपत्र की मूल प्रति रजिस्ट्रार कार्यालय को भेजनी होगी| ऐसी स्थिति में केवल सुधारित परीक्षा फल ही ग्राह्य माना जायेगा|

३१. शिक्षा विशारद, शिक्षा पारंगत तथा शिक्षक सनद की परीक्षाओं के आवेदन पत्र नवम्बर सत्र के आवेदन पत्रों के साथ ही भरने होंगे| किन्तु ये परीक्षाएँ अगले फरवरी माह में स्वतंत्र रूपसे संपन्न होगी|

३२. क्रियात्मक-परीक्षा के लिए वाद्य तथा संगतकार की व्यवस्था परीक्षा केंद्र पर की जाती है| परीक्षार्थी को अपने साथ वाद्य वा संगतकार लाने की अनुमति है किन्तु उसका व्यय मंडल नहीं देगा बल्कि परीक्षार्थी को स्वयं देना होगा|

३३. केवल मूक-बधिर नृत्य के परीक्षार्थियों के लिए तथा मतिमंद परीक्षार्थियों के लिए निम्न प्रकार की छूट दी जाएगी|

१) यदी ऐसे परीक्षार्थी क्रियात्मक तथा लिखित में उत्तीर्ण हो, पर कुल अंक न्युनतम अंकोंसे कम होने के कारण अनुत्तीर्ण हो रहा हो तो उसे उत्तीर्ण माना जाएगा|

२) ऐसे परीक्षार्थी को क्रियात्मक या लिखित विभाग में ५०% अंक प्राप्त हैं और दूसरे में निर्धारित न्यूनतम अंकों के आधे या उससे अधिक अंक प्राप्त हैं तब उसे उत्तीर्ण माना जाएगा|

३) लिखित परीक्षा के समय ऐसे परीक्षार्थीयों को आधे घंटे का अतिरिक्त समय दिया जाएगा|

४) मूक परीक्षार्थी को पढंत के स्थानपर मुकाभिनय की अनुमति रहेगी|

३४. अनुत्तीर्ण विद्यार्थी यदि चाहते हो तो परीक्षा फल घोषित होने के बाद केवल एक हफ्ते में फिरसे आवेदन पत्र भर सकते हैं|

३५. परीक्षा फल रोकना/सुधारित करना या फिरसे लिखित/प्रात्यक्षिक परीक्षा लेना इनपर रजिस्ट्रार का निर्णय अंतिम होगा|

परीक्षा सम्बन्धी विशेष सूचना

१) परीक्षा से सम्बन्धित सभी प्रकार की कार्यवाही रजिस्ट्रार कार्यालय मिरज से ही होगी|

२) परीक्षा से सम्बन्धित सभी प्रकार की सूचनाएँ, जो समय समय पर दी जाती हैं उनके लिए हत महीने के संगीत कला विहार में "रजिस्ट्रार कार्यालय समाचार" विभाग को देखे|

३) परीक्षा से सम्बन्धित सभी प्रकार की कानूनी कार्यवाही केवल मिरज में ही की जा सकेगी|

४०. परीक्षा से सम्बन्धित सभी बातोंपर रजिस्ट्रार का निर्णय अंतिम होगा|

####################

अखिल भारतीय गांधर्व महाविद्यालय मंडल, मुंबई
संलग्न संस्था के लिए
दिशा निर्देश, नियम तथा सूचनाएँ

१) संस्था को मंडल से संलग्न कराने के लिये आवश्यक होगा कि :-

[I] संस्था द्वारा नियमित रूप से निश्चित स्थान तथा समय पर मंदल के अभ्यासक्रम के अनुसार ही संगीत की शिक्षा प्रदान की जाती हो|

[II] नियमानुसार संलग्न संस्था के परीक्षार्थियों को मंडल के परीक्षा शुल्क में रियायत दी जाती है| अतः आवश्यक होगा की संलग्न संस्थाएँ अपनी संस्था में शिक्षा पा रहे सभी विद्यार्थियों की उपस्थिति एक रजिस्टर में रिकार्ड करते रहें| उसी प्रकार संस्था का प्रवेश रजिस्टर (Admission Register) भी व्यवस्थित रूप से रखना आवश्यक होगा| आवश्यकता पडने पर इस रजिस्टर की जांच करने का अधिकार मंडल को होगा|

[III] सभी छात्र/छात्राओं से संस्थ द्वारा निश्चित किया गया शिक्षा शुल्कही लिया जाय तथा उसे तुरंत उस शुल्क की रसीद दी जाय|

[IV] परीक्षा शुल्क में रियायत उन्ही छात्र/छात्राओं को दी जाएगी जिनकी उपस्थिति कम से कम ७५% होगी|

[V] संस्था द्वारा आय/व्यय रजिस्टर को व्यवस्थित रूप से रखना आवश्यक है|

[VI] यदि यह ज्ञात होता है की प्रस्तावित संस्था किसी और संगीत संस्था से भी संलग्न है तो ऐसी स्थिति में प्रदान की गई संलग्नता भी रद्द की जा सकती है|

[VII] जितने वर्ष की संलग्नता प्रदान की जायेगी उतने वर्ष का संलग्नता शुल्क एक साथ देय होगा|

[VIII] संस्था को मंडल द्वारा समय समय पर भेजे गये पाठ्यक्रम तथा अन्य आदेशों का पालन करना होगा|

[IX] संस्था की कार्यप्रणाली के निरीक्षण के लिये यदि मंडल किसी प्रतिनिधि को नियुक्त कर भेजे तो उसे उपरोक्त हर दस्तावेज तथा जानकारी उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा|

(२) मंडल द्वारा संलग्नता प्रदान करने योग्य पाए जाने पर आरंभ में केवल तीन वर्षो के लिये अस्थाई संलग्नता प्रदान की जायेगी| इन तीनों वर्षो का संलग्नता शुल्क एक साथ आरंभ में

ही देय होगा| संलग्नता शुल्क प्राप्त होने के पश्चात ही संलग्नता आरंभ मानी जाएगी|

(३) मंडल द्वारा पूरा पत्राचार आदि संस्था द्वारा निर्धारित व्यक्ति के नाम तथा पतेपर ही किया जाएगा| इसमें कोई भी परिवर्तन होने पर मंडल को तुरंत इसकी सूचना देना आवश्यक है|

(४) संस्था द्वारा संलग्नता शुल्क प्राप्त होते ही संस्था को मंडल का मुखपत्र 'संगीत कला विहार' हर मास भेजा जाएगा| इस पत्रिका में मंडल के विविध कार्य तथा परीक्षा कार्य संबंध में सभी जानकारी होती है|

(५) संलग्नता का वर्ष जनवरी से दिसंबर तक होता है|

(६) अस्थाई संलग्नता के कार्यकाल के दौरान संस्था द्वारा किये हुए कार्य के आधार पर यह निश्चित किया जाएगा की क्या उसे स्थाई संलग्नता प्रदान की जा सकती है या नही?

(७) कृपया यह ज्ञात हो कि ये केवल संलग्नता के नियम है| परीक्षा केन्द्र के नियम अलग होति है|